

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/08/2016/19/यो 2062
प्रति,

भोपाल दिनांक 11/04/2016

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 136वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 136वीं बैठक जो दिनांक 16.03.2016 को संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की स्वीकृति लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सीधी	24	नीलकंठ मंदिर पहुँच मार्ग	0.40	99.43
2	दतिया	24	ग्वालियर झांसी मार्ग से दिनारा मार्ग	1.00	53.14
3	दतिया	24	सिविल लाइंस दतिया से सिद्धार्थ कालोनी मार्ग	1.22	61.52
4	रीवा	24	फरहदी पहुँच मार्ग	1.00	68.30
5	नरसिंहपुर	24	एस. एच. 22 से सहावन पहुँच मार्ग	1.22	86.01
6	पन्ना	24	चड़रा से रैकरा मार्ग	2.00	91.19
7	पन्ना	24	देवरा पहुँच मार्ग	2.00	91.19
8	राजगढ़	24	एस. एच. 18 से टपरिया हेड़ी पहुँच मार्ग	1.10	75.54
9	बैतूल	42	भुयारी से राजेगांव मार्ग	1.50	99.72


2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 योजना मद के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-09 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


11.4.2016
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

पृ० क्रमांक एफ-43/08/2016/19/यो 2063


भोपाल दिनांक 11 /04/2016

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता राज०परि० लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (रीवा.परि०) लोक निर्माण विभाग रीवा।
3. मुख्य अभियंता (उत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
4. मुख्य अभियंता (सागर परि०) लोक निर्माण विभाग सागर।
5. मुख्य अभियंता (मध्य.परि०) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
6. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 06 के लिये) एवं आक्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


सचिव 11.4.16
मोप्र० शासन लोक निर्माण विभाग
२२/१५

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/08/2016/19/यो 2016
प्रति,

भोपाल दिनांक 11/04/2016

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 136वीं बैठक।


—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 136वीं बैठक जो दिनांक 16.03.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई कि०मी० मे	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	
1	रायसेन	42	प्रतापगढ़ से सियरमउ मार्ग (शेष भाग)	26.80	966.57
2	सागर	24	एरन शेखपुर मार्ग	4.00	182.11
3	दतिया	24	हिनोतिया से चिरोल मार्ग	4.00	198.32
4	ग्वालियर	24	भितरवार से करेरा मार्ग	10.60	543.12
5	भिण्ड	24	गोहद धमसा धनोली मार्ग	20.00	502.48
6	श्योपुर	24	हिरनीखेड़ा मार्ग से गुरुनावदा मार्ग	4.80	381.82
7	दतिया	24	भाण्डेर सरसई धमना मार्ग	21.10	558.83
8	उज्जैन	24	नरसिंगा से पीरझालार मार्ग	6.90	341.50
9	उज्जैन	24	लालपुर से ब्यावरा मार्ग	16.00	596.62
10	पन्ना	24	मझगवां से खोरा मार्ग	8.00	355.38
11	हरदा	24	कासरनी झाड़पा मार्ग	3.20	65.58

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यो हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

PATIL/SFC-A-2016-76



11.4.16

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-11 पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 11.4.16


सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 11 /04/2016

पृ0 क्रमांक एफ-43/08/2016/19/यो 2061
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
 2. मुख्य अभियंता (सागर परि0) लोक निर्माण विभाग सागर।
 3. मुख्य अभियंता (ग्वालियर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
 4. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि0) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
 5. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 05 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


सचिव 11.4.16

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
10/4

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/08/2016/19/यो 2064
प्रति,

भोपाल दिनांक 11/04/2016

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 136वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 136वीं बैठक जो दिनांक 16.03.2016 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	
1	बैतूल	42	बैतूल जिले में भैसदेहीं-नांदा- भीमपुर मार्ग के किमी0 31/10 पर ताप्ती नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण। मांग संख्या 42-5054 नाबार्ड	875.51
2	उज्जैन	71	उज्जैन शहर में फ्रीगंज रेल्वे ओव्हर ब्रिज का विशेष मरम्मत कार्य। मांग संख्या 71-7400 सिंहस्थ योजना	70.51
3	उज्जैन	71	उज्जैन शहर में इंदौर कोटा मार्ग को पिपल्याराघौ मार्ग (पंचक्रोशी मार्ग) पर क्षिप्रा नदी पर निर्मित पुल का विशेष मरम्मत कार्य। मांग संख्या 71-7400 सिंहस्थ योजना	64.56
4	उज्जैन	71	उज्जैन शहर में उज्जैन उन्हेल मार्ग पर क्षिप्रा नदी पर भैरवगढ पुल का विशेष मरम्मत कार्य। मांग संख्या 71-7400 सिंहस्थ योजना	25.67
5	उज्जैन	71	उज्जैन शहर में मंगलनाथ से सिद्धनाथ मार्ग पर क्षिप्रा नदी पर निर्मित पुल का विशेष मरम्मत कार्य। मांग संख्या 71-7400 सिंहस्थ योजना	23.79

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 42/5054 एवं 71/7400 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यों हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य

PATIL/SFC-A-2016-79

Pankash
11.4.2016

नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।


3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ स0क0 2,3,4,5 में पुनरीक्षित लागत में अंकित कार्यों में वृद्धि के कारणों की जांच एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही भी की जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-05 पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


11.4.2016
(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव


म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक 11 / 04 / 2016

पृ0 कमाक एफ-43/08/2016/19/यो 2065
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि0) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


11.4.2016
सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
11/4